कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक,
नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.
दूरभाष/Tel : 040-27843385 फैक्स/Fax : 040-27817275

सं.प्रशा/I/1004/स.ले.अ./भूटान पैनल दिनांक : 31.07.2015

सेवा में,

1. रक्षा लेखा नियंत्रक, आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद
2. प्रभारी अपर नियंत्रक, वे.ले.का. (अ.श्रे) ई.एम.ई., सिकंदराबाद
3. प्रभारी सहायक नियंत्रक, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (थलसेना), विशाखापट्टणम्
4. प्रभारी सहायक नियंत्रक, वे.ले.का. (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद
5. सभी अधीनस्थ कार्यालय
6. सभी ग्रूप अधिकारी/व.ले.अ.
7. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

विषय : भूटान में तैनाती - र.ले.वि. - स्थापना - (पैनल 2015-16) ।

****

मुख्यालय कार्यालय ने भूटान में तैनाती के लिए इस संगठन में सेवारत अनुभाग अधिकारी (लेखा) / सहायक लेखा अधिकारियों में से स्वैच्छिक उम्मीदवारों की सूची माँगी है जो भूटान में तैनाती के लिए तैयार हैं । कृपया ऐच्छिक उम्मीदवारों की सूची निर्धारित प्रपत्र में (संलग्न है) दिनांक 17.08.2015 तक इस कार्यालय को भेज दें ताकि उसे मुख्यालय कार्यालय भेजा जा सके ।

स्वेच्छा कर्मचारियों के नाम प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित करें कि निम्नांकित मानदंडों को सख्ती से ध्यान में रखा जाए और केवल उन नामों को भेजा जाए जो निम्नांकित मानदंडो को संपूर्ण रूप से पूरा करते हैं :

(क) संपूर्ण सेवा काल में आवेदक केवल एक पदावधि भूटान में कार्य कर सकते हैं (किस ग्रेड में कार्य किया इसका तैनाती की अवधि से कोई संबंध नहीं है) ।

(ख) पैनल में शामिल करने के लिए आवेदक को पिछले पाँच वर्षों के अपार में "VG" अथवा उससे ऊपर की ग्रेडिंग प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(ग) अपने सेवाकाल में उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई होनी चाहिए, कोई दंड नहीं दिया गया होना चाहिए और कोई अभिलेखित चेतावनी नहीं दी गई होनी चाहिए ।

(घ) दिनांक 27.07.2015 तक आवेदक द्वारा कम से कम दो वर्षों की अवधि सहायक लेखा अधिकारी के ग्रेड में कार्य किया गया होना चाहिए ।

(ङ) दिनांक 27.07.2015 तक उनके द्वारा पिछले सचेतन कार्यकाल के बाद तीन वर्षो की अवधि पूरी की गई होनी चाहिए ।

(च) दिनांक 27.07.2015 के बाद उनकी अधिवर्षिता की तारीख में कम से कम तीन वर्षों की अवधि शेष होनी चाहिए ।

शून्य रिपोर्ट भी भेजना आवश्यक है ।

हस्ता/-
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशा)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

<u>प्रतिलिपि</u> :

1. ई.डी.पी.केंद्र (स्थानीय) - कार्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
2. सूचना पट्ट

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)